मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

कमांक 86 /07/2015/चयन इन्दौर, दिनांक 03-12-2016

अतिरिक्त चयन परिणाम

(एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 32192/2016 म0प्र0 लोक सेवा आयोग विरूद्व डॉ. पूनम सोनगरा में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2016 को पारित निर्णय के परिपालन मे)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/परीक्षा/2013/दिनांक 23.09.2013 के द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के कुल 722 पद विज्ञापित किये गये थे। जिसके चयन हेतु दिनांक 15.03.2015 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 28.05.2015 को घोषित किया जाकर अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 21 सितम्बर, 2015 से 24 नवम्बर, 2015 तक आयोजित किये गये थे। साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम दिनांक 27.11.2015 को घोषित किया गया था।

2/ याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 43/2016 डॉ. पूनम सोनगरा विरूद्व म0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ, इन्दौर द्वारा दिनांक 30.03.2016 को पारित निर्णय के परिपालन में याचिकाकार आवेदिका डॉ. पूनम सोनगरा रोल नम्बर 105603 का साक्षात्कार दिनांक 01.08.2016 को आयोजित किया गया।

3/ एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 32192/2016 म0प्र0 लोक सेवा आयोग विरूद्व डॉ. पूनम सोनगरा में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2016 को पारित निर्णय के परिपालन मे दिनांक 27.11.2015 को घोषित चयन परिणाम के आधार पर याचिकाकार अभ्यर्थी का चयन परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है –

मुख्य सूची

स.क.	रोल नम्बर	नाम	लिंग	श्रेणी	दिनांक 27.11.2015 को घोषित चयन परिणाम में वरिष्ठता की स्थिति
01.	105603	डॉ. पूनम सोनगरा	महिला	अनारक्षित	मुख्य सूची में चयनित, स.क. 25 के नाम के बाद 25–ए पर संस्थित

टीप :–

1. *"चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान मे आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है ।"*

(रेनु पन्त)
सचिव